

आगरा जोन के अधीन

सिकन्दरा योजना आगरा / कमला नगर / ट्रान्स यमुना योजना प्रथम चरण, आगरा / शिकोहाबाद / फिरोजाबाद / हाथरस / खुर्जा

मथुरा / अलीगढ़ / बुलन्दशहर एवं कासगंज की आवासीय/ व्यावसायिक सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी तिथि :

15.05.2018

आवंटन/नीलामी समय :

प्रातः 11:00

बजे से

आवंटन/नीलामी स्थल : आफिस काम्पलेक्स (भूतल) सेक्टर-13, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा

आवासीय सम्पत्तियों के आवंटन/नीलामी का विवरण					व्यावसायिक/अनावासीय सम्पत्तियों के नीलामी का विवरण						
सेक्टर संख्या/नगर	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) ₹० लाख में/प्र०वर्गमी०	सेक्टर संख्या/नगर	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) ₹० लाख में/प्र०वर्गमी०		
आवंटन द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ					नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियाँ						
सिकन्दरा योजना, आगरा ग्रीन इन्क्लेव प्लेट्स					कमलानगर आगरा						
2 सी	उच्च आय वर्ग फ्लैट (प्रथम तल)	(ब्लॉक A+B) (06 नग) (08 नग)	ए-101, 104 से 108 तक बी-101 से 108 तक	113.41 वर्गमी०	₹० 59.08 लाख	एफ	दुकानें	(04 नग)	एफ-958/6, 958/7, 958/1, 958/8	10.39 से 11.61 वर्गमी०	₹० 9.43 से 10.53 लाख तक प्रति नग
2 सी	उच्च आय वर्ग फ्लैट (द्वितीय तल)	(ब्लॉक A+B) (06 नग) (08 नग)	ए-201 202, 205 से 208 तक बी-201 से 208 तक	113.41 वर्गमी०	₹० 57.96 लाख	सिकन्दरा योजना, आगरा					
2 सी	उच्च आय वर्ग फ्लैट (तृतीय तल)	(ब्लॉक A+B) (04 नग) (08 नग)	ए-305 से 308 तक बी-301 से 308 तक	113.41 वर्गमी०	₹० 57.40 लाख	16	दुकानें	(02 नग)	एस-4, एस-11	8.88 से 12.60 वर्गमी०	₹० 2.82 से 3.99 लाख तक प्रति नग
2 सी	उच्च आय वर्ग फ्लैट (चतुर्थ तल)	(ब्लॉक A+B) (04 नग) (08 नग)	ए-405 से 408 तक बी-401 से 408 तक	113.41 वर्गमी०	₹० 56.83 लाख	1	दुकानें	(01 नग)	दुकान नं०-28/1	7.88 वर्गमी०	₹० 8.90 लाख
2 सी	उच्च आय वर्ग फ्लैट (पंचम तल)	(ब्लॉक A+B) (06 नग) (08 नग)	ए-502, 505 से 508 तक बी-501 से 508 तक	113.41 वर्गमी०	₹० 56.27 लाख	3बी	व्यावसायिक भूखण्ड		3बी/कॉम-11	820.00 वर्गमी०	₹० 44800/-प्र०वर्गमी०
2 सी	उच्च आय वर्ग फ्लैट (छठवां तल)	(ब्लॉक A+B) (05 नग) (08 नग)	ए-604 से 608 तक बी-601 से 608 तक	113.41 वर्गमी०	₹० 56.27 लाख	8	व्यावसायिक भूखण्ड		8/एस-3/1	561.12 वर्गमी०	₹० 44800/-प्र०वर्गमी०
खुर्जा योजना					सिकन्दरा योजना आगरा						
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 02 नग)	5/140, 5/137	41.30 वर्गमी०	₹० 7.36 लाख	12डी	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड		12डी-एस-1 (कार्नेर)	368.64 वर्गमी०	₹० 49280/-प्र०वर्गमी०
3	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग)	3/356 (कार्नेर)	97.86 वर्गमी०	₹० 13.23 लाख				12डी/एस-2	243.80 वर्गमी०	₹० 44800/-प्र०वर्गमी०
3	अल्प आय वर्ग	(29/80, 02 नग)	3/403, 3/96	62.63 वर्गमी०	₹० 13.07 लाख				12डी/एस-3	213.69 वर्गमी०	₹० 44800/-प्र०वर्गमी०
कासगंज योजना									12डी/एस-4 (कार्नेर)	186.72 वर्गमी०	₹० 49280/-प्र०वर्गमी०
1	अल्प आय वर्ग भवन	(29/80 01 नग)	1169/1, 1171/1	60.59 वर्गमी०	₹० 15.47 लाख	16ए	हैल्थ सेंटर		16ए/एस-सी-1 (कार्नेर)	1037.40 वर्गमी०	₹० 36960/-प्र०वर्गमी०
हाथरस योजना						1	शापिंग प्लेटफार्म		1/एसएफ-1 (कार्नेर), 1/एसएफ-2 से 1/एसएफ-20 तक	5.75 वर्गमी० से 15.37 वर्गमी०	₹० 44800/-प्र०वर्गमी० से ₹० 49280/-प्र०वर्गमी०
3	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	3/31	61.24 वर्गमी०	₹० 6.86 लाख	शिकोहाबाद					
नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ						2सी	व्याक भूखण्ड		2सी/कॉम-1 (कार्नेर)	516.60 वर्गमी०	₹० 24640/-प्र०वर्गमी०
सिकन्दरा योजना आगरा						3	कन्वेनियन्ट शॉप सेंटर		3/असीएससीपी-01 (कार्नेर)	645.75 वर्गमी०	₹० 24640/-प्र०वर्गमी०
4	अल्प आय वर्ग भवन	(01 नग)	751/4	83.88 वर्गमी०	₹० 22.72 लाख	फिरोजाबाद					
12डी	अल्प आय वर्ग भवन	(02 नग)	314/12डी, 315/12डी (अर्द्ध निर्मित, डीपीसी० स्तर)	41.40 वर्गमी०	₹० 10.05 लाख	4	यूटिलिटी भूखण्ड		4/यूटी-1 (कार्नेर)	78.11 वर्गमी०	₹० 36960/-प्र०वर्गमी०
कासगंज						4	यूटिलिटी भूखण्ड		4/यूटी-2 (कार्नेर)	66.75 वर्गमी०	₹० 36960/-प्र०वर्गमी०
2	आवासीय भूखण्ड	(02 नग)	2/353, 2/422	127.50 वर्गमी०	₹० 11200 प्र०वर्गमी०	4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड		4/सीएस-2, 4/सीएस-4	67.95 वर्गमी०	₹० 33600/-प्र०वर्गमी०
2	आवासीय भूखण्ड	(02 नग)	2/366	145.80 वर्गमी०	₹० 11200 प्र०वर्गमी०	4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड		4/सीएस-3, 4/सीएस-5	68.25 वर्गमी०	₹० 33600/-प्र०वर्गमी०
योजना सं०-2 बुलन्दशहर						4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड		4/सीएस-1	68.25 वर्गमी०	₹० 33600/-प्र०वर्गमी०
2	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	13/2	233.71 वर्गमी०	₹० 19040 प्र०वर्गमी०	4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड		4/सीएस-6, 4/सीएस-7, 4/सीएस-8	68.75 वर्गमी०	₹० 33600/-प्र०वर्गमी०
खुर्जा योजना						4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड		4/सीएस-9 (कार्नेर)	41.72 वर्गमी०	₹० 36960/-प्र०वर्गमी०
5	मध्यम आय वर्ग	(80/122 प्रकार 05 नग)	5/202, 5/209, 5/215/5, 5/214, 5/213	124.10 वर्गमी०	₹० 30.07 लाख	हाथरस					
6	मध्यम आय वर्ग	(80/122 01 नग)	6/114	124.19 वर्गमी०	₹० 36.19 लाख	3	व्यावसायिक भूखण्ड	(06 नग)	3/1 (कार्नेर) 3/2, 3/3 (कार्नेर), 3/4 (कार्नेर), 3/5, 3/6 (कार्नेर)	192.50 से 240.85 वर्गमी० तक	₹० 22400/- से 24640/-प्र०वर्गमी० तक
6	मध्यम आय वर्ग	(80/122 01 नग)	6/117	121.89 वर्गमी०	₹० 35.93 लाख	कासगंज					
6	मध्यम आय वर्ग	(80/122 01 नग)	6/32	124.68 वर्गमी०	₹० 28.18 लाख	4ए	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग)	4ए/बीसी-1(कार्नेर)	1547.00 वर्गमी०	₹० 24640/-प्र०वर्गमी०
फिरोजाबाद योजना						4ए	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग)	4ए/बीसी-2(कार्नेर)	1686.80 वर्गमी०	₹० 24640/-प्र०वर्गमी०
1	दुर्बल आय वर्ग भवन सं०-1/209 (कार्नेर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि			15.77 वर्गमी०	₹० 18480 प्र०वर्गमी०	4ए	संस्थागत भूखण्ड	(02 नग)	4ए/बैंक-1, 4ए/पोस्ट ऑफिस	800.00 वर्गमी०	₹० 16800/-प्र०वर्गमी०
1	अध्यापक भवन सं०-1/469 (कार्नेर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि			15.68 वर्गमी०	₹० 18480 प्र०वर्गमी०	योजना सं०-9, अलीगढ़					
1	अध्यापक भवन सं०-1/470 (कार्नेर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि			23.50 वर्गमी०	₹० 18480 प्र०वर्गमी०	2ए	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग)	2ए/कॉम-11 (कार्नेर)	260.36 वर्गमी०	₹० 49280/-प्र०वर्गमी०
1	अध्यापक भवन सं०-1/800 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि			2.61 वर्गमी०	₹० 16800 प्र०वर्गमी०	योजना सं०-1, बुलंदशहर					
3	अध्यापक भवन सं०-3/504 (कार्नेर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि			27.61 वर्गमी०	₹० 18480 प्र०वर्गमी०	2सी	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग)	2/सी-4	450.00 वर्गमी०	₹० 30800/-प्र०वर्गमी०
शिकोहाबाद योजना						2सी	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग)	2/सी-14	453.38 वर्गमी०	₹० 30800/-प्र०वर्गमी०
2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2ए/315 (कार्नेर)	183.07 वर्गमी०	₹० 12320 प्र०वर्गमी०	शिक्षण संस्थाओं हेतु योजनाओं में उपलब्ध स्कूल भूखण्डों के पंजीकरण हेतु विवरण					
हाथरस						कृष्ण विहार योजना मथुरा					
2ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग)	2/21 (कार्नेर)	160.00 वर्गमी०	₹० 12320 प्र०वर्गमी०	4बी	स्कूल भूखण्ड	(01 नग)	4बी/एससीएस-01 (कार्नेर)	1959.00 वर्गमी०	₹० 18700/-प्र०वर्गमी०
हाथरस						हाथरस					
3	स्कूल भूखण्ड	(01 नग)	3/एस-1	2496.00 वर्गमी०	₹० 11000/-प्र०वर्गमी०	कासगंज					
1	स्कूल भूखण्ड	(01 नग)	1/पीएस-1 (कार्नेर) (लीज पर)	3496.75 वर्गमी०	₹० 12100/-प्र०वर्गमी०	1	स्कूल भूखण्ड	(01 नग)	1/पीएस-1 (कार्नेर) (लीज पर)	3496.75 वर्गमी०	₹० 12100/-प्र०वर्गमी०
4ए	स्कूल भूखण्ड	(01 नग)	4ए/एसएस-1 (कार्नेर) (लीज पर)	1922.77 वर्गमी०	₹० 12100/-प्र०वर्गमी०	4ए	स्कूल भूखण्ड	(01 नग)	4ए/एसएस-1 (कार्नेर) (लीज पर)	1922.77 वर्गमी०	₹० 12100/-प्र०वर्गमी०

नोट : 1. आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी०एस०टी० अलग से भुगतान करना होगा। 2. सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहाँ है जैसे है के आधार पर आवंटित की जायेगी। 3. आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र आवंटन/नीलामी को निश्चित तिथि से दो दिन पूर्व तथा सील्ड बिड निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।

सामान्य सूचना :- 1. समस्त सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्ति आवंटन संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप नि:शुल्क एवं नीलामी में भाग लेने विषयक सील्डबिड फार्म/ आवेदन फार्म का प्रारूप निश्चित मूल्य ₹० 100/- जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) सम्पत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (4) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उप० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में संबंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो जमा कर टोकन प्राप्त करना/सील्ड बिड के साथ जमा करना होगा। (5) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी संबंधी नियम शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.com से प्राप्त की जा सकती है। (6) नीलामी से निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ को बोली स्वीकृति के पश्चात परिषद विनियमों में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार ही कटेती की जायेगी।

उप आवास आयुक्त, आगरा जे०

आवश्यक सूचना : शैक्षणिक भूखण्डों हेतु रु० 1000/- भुगतान करके पंजीकरण पुस्तिका विज्ञान प्रदर्शन की तिथि से एक माह के भीतर सम्बन्धित शहर के सम्पत्ति कार्यालय/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन फार्म के साथ रु० 5000/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित आवश्यक प्रपत्रों सहित सम्बन्धित कार्यालय में जमा की जा सकती है, जिसकी नियमानुसार शार्ट-लिटिगिंग के उपरान्त बैक/पात्र आवेदकों को आगामी नीलामी में दी गयी सूचना के अनुसार भाग लेना होगा। शेष नियम-शर्त पंजीकरण पुस्तिका में किये गये उल्लेख के अनुसार होंगी।

नोट : 1. कन्वेनियन्ट भूखण्ड सं०-12डी/एस-1, एस-2, एस-3 व एस-4 में पार्किंग हेतु ले-आउट में दर्शाई गई भूमि का मूल्य भी आवेदक को स्वीकृत उच्चतम बोली की दर से भुगतान करना होगा। 2. हेल्थ सेंटर भूखण्ड हेतु परिषद द्वारा निश्चित गार्ड लाइन के अर्वांगत पात्र आवेदक ही नीलामी में भाग ले सकते हैं।

3. आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी०एस०टी० अलग से भुगतान करना होगा।

नीलामी संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदक 11:00 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 11:00 बजे के बाद टोकन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा। 11:00 बजे से आवंटन प्रक्रिया एवं 11:00 बजे से नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः आवेदक समय से टोकन प्राप्त कर लें।

नोट : 1. आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जीएसटी0 अलग से भुगतान करना होगा। 2. सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहाँ है उसे ही के आधार पर आवंटित की जायेगी। 3. आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र आवंटन/नीलामी की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व तथा सील बिंदु निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। सामान्य सूचना :- 1. समस्त सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्ति आवंटन संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप निशुल्क एवं नीलामी में भाग लेने विषयक सीलबिंदु फार्म/आवेदन फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य ₹० 100/- जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) सम्पत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (4) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में संबंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो जमा कर टोकन प्राप्त करना/सील बिंदु के साथ जमा करना होगा। (5) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी संबंधी नियम शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्राप्त की जा सकती है। (6) नीलामी से निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों की बोली स्वीकृति के पश्चात परिषद विनियमों में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार ही कटौती की जायेगी। उप आवास अद्युक्त, आगरा ज़ोन

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
• Website: <http://www.upavp.in> • Email: Info@upavp.com

आवश्यक सूचना : शैक्षणिक भूखण्डों हेतु ₹० 1000/- भुगतान करके पंजीकरण पुस्तिका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर सम्बन्धित शहर के सम्पत्ति कार्यालय/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन फार्म के साथ ₹० 5000/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित आवश्यक प्रपत्रों सहित सम्बन्धित कार्यालय में जमा की जा सकती है, जिसकी नियमानुसार शार्ट-लिटिंग के उपरांत वैध/पात्र आवेदकों को आगामी नीलामी में दी गयी सूचना के अनुसार भाग लेना होगा। शेष नियम-शर्त पंजीकरण पुस्तिका में किये गये उल्लेख के अनुसार होंगे। नोट:- 1. कन्वेनियन्ट भूखण्ड सं०-12डी/एस-1, एस-2, एस-3 व एस-4 में पार्किंग हेतु ले-आउट में दर्शाई गई भूमि का मूल्य भी आवेदक को स्वीकृत उच्चतम बोली की दर से भुगतान करना होगा। 2. हेल्थ सेंटर भूखण्ड हेतु परिषद द्वारा निर्धारित गार्डर्ड लाइन के अनुरूप पात्र आवेदक ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। 3. आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जीएसटी0 अलग से भुगतान करना होगा। नीलामी संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदक 11:00 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 11:00 बजे के बाद टोकन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा। 11:00 बजे से आवंटन प्रक्रिया एवं 11:00 बजे से नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः आवेदक समय से टोकन प्राप्त कर लें।

परिषद ने शाहको की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन-सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें : **1800-180-5333(हेल-ही) 0522-2236803**
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

